

अनुसूची 21-फारम सं०-113

संपत्ति अर्कभार प्रमाण-पत्र
उपलब्ध एवं तैयार रेफरेंडेंस-11 के आधार पर 5246 19
प्रमाण-पत्र संख्या 20 आवेदन सं०
पृष्ठ सं० Rajesh Kumar Singh

मे मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नलिखित संपत्ति के संबंध में निम्नलिखित संप्रदाहों और अर्कभारों का सविस्तर प्रमाण-पत्र दिया जाये।
(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलििये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संप्रदाहों और अर्कभारों को बारे में बड़ी मे
और इससे सम्बद्ध अनुसूचियों में सार 06 से सार 30-01-2014

तक सत्यापन की गयी और ऐसी सत्यापन के बाद निम्न संप्रदाहों और अर्कभारों का पता पड़ा

पता है अतः

अभिप्राय सुकत

क्रमांक	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रतिलिपि के 50 निर्देश		
				निष्पादक	साक्षीदार	जिल्ला	बर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza —	Bhogipur						
	P.S —	Gopalpur						
	Thana No. —	104						
	Khata No. —	36						
	Survey Plot No. —	228						
	Plot Area —	19 Decimal						

Rajesh Kumar Singh

	View Details	Serial No: 32895 Deed No: 27791 Token No: 33492 Reg Year: 2010	Ramjee Prasad	Executant	Ramadin Singh	Circle: Phulwari Sharif Mauja: Mokimpur Khata : 36 Plot : 228 Area(In Decimal): 10 Land Type : Agriculture Land Value : 29000 MVR Value : 2820
			Ram Singhasan Singh	Claimant	Awadh Singh	
2	Patna View Details	Serial No: 18070 Deed No: 15656 Token No: 18368 Reg Year: 2008	Sitaram Mahto Maya Mehta	Executant Claimant	Dasrath Mahto Ramjee Prasad	Circle: Patna City Mauja: Ranipur Chakma Khata : 36 Plot : 228 Area(In Decimal): 11.66 Land Type : Res. Branc Land Value : 292000 MVR Value : 25000
3	Patna View Details	Serial No: 8761 Deed No: 7777 Token No: 8936 Reg Year: 2008	Shashank Shekhar Prasad Anil Kumar Rai	Executant Claimant	Jagdish Prasad Mangla Rai	Circle: Patna Mauja: East Of Chiraiya Khata : 36 Plot : 228 Area(In Decimal): 1.05 Land Type : Res. Branc Land Value : 1105000 MVR Value : 200000

Rajesh Kumar Singh

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

संस्कृत-भाषा सं. 1927

आवेदन सं० _____ १३

प्रति की प्रति ५००० कि. मी. प्रति घण्टा किया है कि विमानों
जारी के लक्ष्य के विरुद्ध अवरोधों को अवरोधित करने के लिये प्रयत्न किया जाय

[illegible]

क्रम संख्या	(क) संगति का विवरण	विद्यार्थी की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	वर्ग के नाम		दस्तावेज की प्रतिलिपि के प्रति विवरण		
				विषयगत	प्रकारगत	किस्त सं०	सं०	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1- ग्रेजी कक्षा			नोट्स	रकबा	राशि कॉलेज			
2- जीमाता कक्षा			α.	96		228	पार्स	
3- 104								
4- 425								

(क) दस्तावेजों को अनुसार विवरण दर्ज करें।

(वि) : यद्यपि-यद्य भी दत्ता ने सत्यम की पर और गुणसाग की अप्रति नहीं करें। इसकी कि इनका हाथ में
: पदों की दत्ता ने पदों की अन्विति और शक्तिगत तत्त्व नहीं करे।

Rajesh Kumar Singh

मैं यह भी स्पष्टीकरण करता हूँ कि उपर्युक्त संशोधन और अंशों को जोड़, बदल सम्पत्ति को
 स्वीकृत करने वाले किसी अन्य संशोधन और अंशों को यह नहीं करता है।

यदि किसी ने तस्वीरों को और अंशों-वगैरह दिया-

(प्रमाण) -

मेरे (अंशों पर)

(दिनांक) -

7-8-19

तस्वीरों को संशोधन और अंशों-वगैरह को जोड़ दिया किसी ने की

(प्रमाण) -

318

(दिनांक) -

आवक्य

अनुरोध, पुस्तकालय कार्यालय, पटना

अंश



आ

बिहार साहित्य अकादमी को दिये गये

7-8-19

- दिनांक - इस प्रमाण-पत्र में जो-संशोधन और अंशों-वगैरह दिये गये हैं वे अतिरिक्त द्वारा प्राप्त प्रमाण
 सही विवरण को अनुसरण करते हैं। यदि अतिरिक्त द्वारा दिये गये विवरण को बिना विचार
 किए किसी द्वारा अंशों को निश्चित दस्तावेजों में दिये गए हैं तो वे ही दस्तावेजों में
 शामिल संशोधन (संशोधन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल नहीं किये जायेंगे।
- (1) बिहार साहित्य अकादमी की तरफ से जो अंशों को अतिरिक्त और अनुसंधानियों (अंशों) को
 अतिरिक्त संशोधन करने से अस्वीकार किया गया अतिरिक्त अंशों को अस्वीकार किया गया किन्तु
 तस्वीरों को अंशों को प्रमाण-पत्रों को अस्वीकार की जाने तस्वीरों संशोधन करने की। बिना
 का प्रमाण करने का अतिरिक्त और अनुसंधानियों उनके अपने एक ही अंशों।
- (2) किन्तु यदि बिहार अकादमी में अतिरिक्त में एक तस्वीर नहीं की है, इसलिए अकादमी में
 तस्वीर अपने संशोधन सत्यापन से की है। फिर भी, बिहार अकादमी में दिये गये तस्वीर
 अंशों को किसी भी रूप में अतिरिक्त को यह विवेक नहीं होता।
- (3) और यदि बिहार अकादमी में अतिरिक्त में अतिरिक्त तस्वीरें गये की है और यदि उनके
 में संशोधन और अंशों को संशोधन को यह प्रमाण-पत्र में दिया गया है। इसलिए
 अतिरिक्त द्वारा न दिये गये दस्तावेजों और अंशों को जो अतिरिक्त को यह दिये गये हैं
 न होगा किसी दस्तावेजों पर प्रमाण नहीं होता।

आवक्य 1927 दिनांक 7-8-19

प्रतिस्तिपि :- आवक्य एवं पत्र, Axis Bank, RAE Portna
 को प्रेषित

अतिरिक्त
 पुस्तकालय कार्यालय

पटना
 7-8-19